[2018] 1 एस. सी. आर. 373

रामबीर शॉकिन

वी.

एन. सी. टी. दिल्ली राज्य

(आपराधिक अपील सं। 2181-2182 2017 का)

31 जनवरी, 2018

[दीपक मिश्रा, सीजेआई, ए. एम. खानविलकर और

डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे. जे.]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-एस। 167 (2) – महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1999। 3 और 4-गिरफ्तारी

अपीलार्थी-01.12.2016 पर अभियुक्त-90 दिनों की समाप्ति से पहले

अतिरिक्त लोक अभियोजक द्वारा आरोप पत्र दाखिल करने के लिए समय बढ़ाने के लिए 28.02.2017 पर दायर आवेदन

15.03.2017 - दिनांक 28.02.2017 के आदेश द्वारा विशेष न्यायाधीश का कार्यकाल बढ़ाया गया

अपीलार्थी की न्यायिक अभिरक्षा 01.03.2017 तक-उसी दिन अभियुक्त ने वैधानिक जमानत देने के लिए आवेदन दायर किया लेकिन

उसी का पालन नहीं किया गया-अगले दिन 02.03.2017,90 दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद, अपीलार्थी ने अनुदान के लिए एक और आवेदन दायर किया वैधानिक जमानत-न्यायिक हिरासत को समय-समय पर 08.03.2017 तक बढ़ाया जाता रहा जिस तारीख को आरोप पत्र दायर किया गया था और

विशेष अदालत ने लोक अभियोजक के आवेदन का निपटारा किया

निष्फल-इसके बाद, 14.03.2017 पर विशेष न्यायाधीश ने खारिज कर दिया

जमानत आवेदन दिनांक 02.03.2017-उच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती देने के लिए अपीलार्थी के अनुरोध को खारिज कर दिया गया

डिफ़ॉल्ट रूप से जमानत पर रिहा किया गया-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गयाः यह कहा जा सकता है कि चूक के आधार पर जमानत देने के लिए अपीलार्थी को कोई अधिकार प्राप्त नहीं हुआ है-वैधानिक जमानत देने का अधिकार

समय बढ़ाने के अनुरोध को अस्वीकार करने के बाद ही अपीलार्थी

अतिरिक्त लोक अभियोजक द्वारा अनुरोध किया गया-केवल यह तथ्य कि अपीलार्थी की प्रारंभिक गिरफ्तारी की तारीख से 90 दिनों की अवधि 02.03.2017 पर समाप्त हो गई थी, निर्विवाद रूप से वैधानिक अनुदान में निहित नहीं हो सकता है।

अपीलार्थी को जमानत-मोरेसो, जब अतिरिक्त जनता द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर न्यायालय द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया था 08.03.2017 तक अभियोजक, किस तारीख को पूरक

अपीलार्थी के खिलाफ आरोप-पत्र अदालत में दायर किया गया था-अपीलार्थी के खिलाफ पूरक आरोप-पत्र दायर करने के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, इस तथ्य के साथ कि उसकी न्यायिक हिरासत थी आवेदन पर विचार के लंबित होने तक बढ़ाया गया

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आरोप-पत्र दाखिल करने के लिए समय का विस्तार, कानून में, यह समझ से परे है कि अपीलार्थी कैसे दावा कर सकता है कि उसे चूक के आधार पर जमानत पर रिहा होने का कोई अर्जित अधिकार है या उस मामले के लिए, ऐसा अधिकार अक्षम्य हो गया है - आरोप-पत्र दाखिल करने से पहले अपीलार्थी; अधिकतम, यह 8.03.2017 तक एक असंवैधानिक अधिकार था-आरोप दायर करने के बाद वैधानिक जमानत देना।

अभियोग-पत्र दाखिल करने के लिए समय बढ़ाने के लिए आवेदन के लंबित रहने के दौरान अपीलार्थी के खिलाफ पत्र और अधिक

अस्वीकार्य-इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा वैधानिक जमानत देने के अनुरोध को सही ढंग से खारिज कर दिया।

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने

पकड़नाः 1.1 आई. डी. 2 पर, अतिरिक्त लोक अभियोजक ने अपीलार्थी के खिलाफ आई. डी. 1 तक आरोप पत्र दायर करने के लिए समय बढ़ाने के लिए रिपोर्ट दायर की थी। विषय एफ. आई. आर. के संबंध में अपीलार्थी की प्रारंभिक गिरफ्तारी की तारीख से 90 दिनों की समाप्ति से पहले, इसे समय के भीतर दायर किया गया था। इस बात का एहसास पद, अपीलार्थी ने अपने पहले आवेदन का पीछा नहीं किया

वैधानिक जमानत दिनांक 28.02.2017। इसके बजाय, उन्हें 02.03.2017 पर एक नया वैधानिक जमानत आवेदन दायर करने की सलाह दी गई थी। 02.03.2017 पर

अतिरिक्त लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अभी भी थी

अनिर्णित। अतः यह कहा जा सकता है कि चूक के आधार पर जमानत देने के लिए अपीलार्थी को कोई अधिकार प्राप्त नहीं हुआ है। कानून में, केवल अतिरिक्त लोक अभियोजक द्वारा मांगे गए समय के विस्तार के लिए अनुरोध की अस्वीकृति पर, वैधानिक जमानत देने के लिए अपीलार्थी के पक्ष में अधिकार प्रज्वलित हो सकता था। केवल यह तथ्य कि विषय एफ. आई. आर. के संबंध में अपीलार्थी की प्रारंभिक गिरफ्तारी की तारीख से 90 दिनों की अवधि 02.03.2017 पर समाप्त हो गई थी, अपीलार्थी को वैधानिक जमानत देने में निर्विवाद रूप से निहित नहीं हो सकता है। मोरेसो, जब अतिरिक्त लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट/आवेदन पर न्यायालय द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया था, जब तक कि 08.03.2017 , किस तारीख को अपीलार्थी के खिलाफ अदालत में पूरक आरोप पत्र दायर किया गया था। अपीलार्थी के खिलाफ पूरक आरोप-पत्र दाखिल करने के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, इस तथ्य के साथ कि उसकी न्यायिक हिरासत को सक्षम अधिकार क्षेत्र के न्यायालय द्वारा तब तक बढ़ा दिया गया था जब तक कि

आरोप-पत्र दाखिल करने के लिए समय बढ़ाने के लिए आवेदन, कानून में, यह समझ से परे है कि अपीलार्थी डिफ़ॉल्ट रैम्बर शॉकिन v के आधार पर जमानत पर रिहा होने का कोई उपार्जित अधिकार होने का दावा कैसे कर सकता है।

या, ऐसा अधिकार अक्षम्य हो गया है। [पैरा 21] [395-ई-एच; 396-ए-बी]

1.2 आरोप-पत्र दाखिल करने से पहले अपीलार्थी को कोई अधिकार अर्जित नहीं हुआ था; सबसे अच्छा, यह 08.03.2017 तक एक असंबद्ध अधिकार था। नतीजतन, दाखिल करने के बाद वैधानिक जमानत देने का सवाल

अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप-पत्र और अधिक अवधि के दौरान

आरोप पत्र दाखिल करने के लिए समय बढ़ाने के लिए रिपोर्ट/आवेदन का लंबित होना अस्वीकार्य था। दूसरे शब्दों में, अपीलार्थी द्वारा 02.03.2017 पर दायर वैधानिक जमानत देने के लिए आवेदन, भले ही लंबित हो, केवल तभी आगे बढ़ाया जा सकता था जब अदालत द्वारा अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध को औपचारिक रूप से और स्पष्ट रूप से खारिज किया जाना था। [पैरा 23] [398-जी-एच; 399-ए-बी]

1.3 किसी स्थिति में वैधानिक जमानत देने के लिए आवेदन पर विचार, समय बढ़ाने के लिए अतिरिक्त लोक अभियोजक के अनुरोध की अस्वीकृति पर निर्भर था। जब ऐसा होता है अनुरोध किया जाता है, यह न्यायालय का कर्तव्य है कि वह पहली बार में आरोप पत्र दाखिल करने की अवधि बढ़ाने के लिए रिपोर्ट/आवेदन पर विचार करे; केवल अगर इसे अस्वीकार किया जाना था तो वैधानिक जमानत देने के लिए अनुरोध को आगे बढ़ाया जा सकता था। किसी भी मामले में, वैधानिक जमानत आवेदन पर सुनवाई प्रार्थना पर विचार करने से पहले नहीं होती है।

अतिरिक्त लोक अभियोजक द्वारा आरोप पत्र दाखिल करने की अवधि बढ़ाने के लिए। [पैरा 24] [399-बी-सी]

1.4 तत्काल मामले में, अपीलार्थी की न्यायिक हिरासत को सक्षम अधिकार क्षेत्र के न्यायालय द्वारा समय-समय पर बढ़ा दिया गया था आरोप पत्र दाखिल करने के लिए समय बढ़ाने के अनुरोध पर विचार के लिए, शुरू में 28.02.2017 से 01.03.2017 तक और इसलिए

यह 01.03.2017 से, 07.03.2017 तक, और फिर 07.03.2017 से, 08.03.2017 तक जारी रहा, जिस तारीख को अपीलार्थी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया था। विशेष न्यायालय द्वारा 08.03.2017 पर पारित आदेश का अर्थ उच्च न्यायालय द्वारा और इसके अतिरिक्त अपीलार्थी के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल करने की अवधि को स्पष्ट रूप से 08.03.2017 तक बढ़ाकर किया गया है। उच्च न्यायालय के उस दृष्टिकोण में कोई त्रुटि नहीं है। [पैरा 25] [399-ई जी]

1.5 तत्काल मामले में, अपीलार्थी द्वारा 02.03.2017 पर वैधानिक जमानत देने के लिए विषय आवेदन दायर करने से पहले, अतिरिक्त लोक अभियोजक पहले ही अपनी रिपोर्ट दाखिल कर चुके थे।

अपीलार्थी के खिलाफ 15.03.2017 तक, लेकिन उस पर निर्णय स्थगित कर दिया गया था। जैसा कि संजय दत्त मामले में संविधान पीठ ने कहा था कि जब तक अतिरिक्त लोक अभियोजक द्वारा समय बढ़ाने के लिए दायर रिपोर्ट/आवेदन को खारिज नहीं किया जाता है, तब तक कोई अधिकार नहीं है।

वैधानिक जमानत देने के लिए उसके आवेदन पर विचार करने के लिए अभियुक्त के पक्ष में बहुत कम धन जमा होगा। इसके अलावा, ऐसे मामलों में संबंधित न्यायालय का कर्तव्य है कि वह पहले अतिरिक्त लोक अभियोजक द्वारा आरोप पत्र दायर करने की अवधि बढ़ाने के अनुरोध पर विचार करे। उच्च न्यायालय ने इस प्रकार अपीलार्थी के खिलाफ मुद्दे का जवाब दिया और अतिरिक्त लोक अभियोजक द्वारा विस्तार के लिए की गई प्रार्थना के औचित्य पर भी विचार किया आरोप-पत्र दाखिल करने की अवधि। इसने एक स्पष्ट निष्कर्ष दर्ज किया कि उक्त अनुरोध वास्तविक और उचित था और इस प्रकार उस उद्देश्य के लिए समय 08.03.2017 तक बढ़ा दिया गया। [पैरा 26] [400 डी-जी]

1.6 तत्काल मामले में, आरोप पत्र दाखिल करने की अवधि बढ़ाने की प्रार्थना अतिरिक्त जनता द्वारा की गई थी

कानूनी अवधि समाप्त होने से पहले अभियोजक, लेकिन यह 08.03.2017 तक लंबित रहा, जब तक कि अदालत में आरोप पत्र दायर नहीं किया गया। जब तक कि उक्त अनुरोध औपचारिक और स्पष्ट रूप से नहीं था

सक्षम न्यायालय द्वारा खारिज किए जाने पर, संजय दत्त मामले में स्पष्टीकरण को देखते हुए, संबंधित न्यायालय वैधानिक अनुदान के लिए अनुरोध पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र ग्रहण नहीं कर सकता था।

अपीलार्थी की जमानत। अतिरिक्त लोक अभियोजक द्वारा किए गए अनुरोध का औपचारिक रूप से अपीलार्थी के खिलाफ आरोप पत्र दायर करने के बाद 08.03.2017 पर निष्फल के रूप में निपटान किया गया था। यह अतिरिक्त लोक अभियोजक के अनुरोध को अस्वीकार करने का आदेश नहीं था। उच्च न्यायालय ने इस पहलू की जांच की और, आक्षेपित निर्णय में अभिलिखित कारणों के लिए अपीलार्थी के खिलाफ मुद्दे का सही जवाब दिया, जिसमें स्पष्ट रूप से 08.03.2017 तक आरोप पत्र दायर करने का समय बढ़ाना शामिल है। उच्च न्यायालय के उक्त दृष्टिकोण की पुष्टि की जाती है। [पैरा 27] [401-बी-ई]

1.7 मामले को समग्र रूप से देखते हुए, यह देखा गया है कि प्रारंभिक वैधानिक अवधि की समाप्ति से पहले रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी

अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल करने के लिए 90 दिनों की अवधि। अपीलार्थी के खिलाफ न्यायालय में आरोप-पत्र प्रस्तुत किए जाने के बाद, उस अनुरोध को विशेष न्यायालय द्वारा 08.03.2017 पर निष्फल बताते हुए निपटाया गया था। 08.03.2017 तक, अपीलार्थी को RAMBER SHOKEEN v. को भेजा गया था।

एन. सी. टी. दिल्ली राज्य

आरोप पत्र दाखिल करने के लिए समय बढ़ाने के लिए अतिरिक्त लोक अभियोजक के अनुरोध पर विचार किए जाने तक सक्षम न्यायालय द्वारा न्यायिक हिरासत। न्यायालय, कानूनी रूप से, अपीलार्थी को वैधानिक जमानत देने के अनुरोध पर विचार नहीं कर सकता था।

इसने दूसरे विकल्प को अपनाने का फैसला किया, जिसे वांछनीय माना गया था और अपीलार्थी द्वारा आपत्ति नहीं की गई थी, जैसा कि विवादित निर्णय की टिप्पणियों से समझा जा सकता है। तब उच्च न्यायालय ने अतिरिक्त लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में समय बढ़ाने की प्रार्थना पर विचार करने के लिए आगे बढ़े

28.02.2017 , और, ठोस कारणों से, इसे वास्तविक और उचित पाया गया। इस प्रकार धारण करने के बाद, इसने उक्त की अनुमति दी शुल्क-पत्रक दाखिल करने का समय 08.03.2017 तक बढ़ाकर अनुरोध करें। उच्च न्यायालय के उक्त दृष्टिकोण में कोई कमजोरी नहीं है।

आई. डी. 1 तक समय बढ़ाने के बाद और चूंकि उस तारीख को आरोप पत्र पहले ही दायर किया जा चुका था, इसलिए चूक के आधार पर आई. डी. 2 दिनांकित आवेदन के माध्यम से अपीलार्थी की वैधानिक जमानत देने के अनुरोध पर विचार करने का प्रश्न आगे विचार के लिए नहीं बचा। वैधानिक जमानत देने का अधिकार अभियुक्त को अनुरोध की अस्वीकृति के बाद ही प्राप्त होता। अतिरिक्त लोक अभियोजक द्वारा अनुरोधित समय का विस्तार। नतीजतन, उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा दिनांकित 02.03.2017 आवेदन के माध्यम से वैधानिक जमानत देने के अनुरोध को सही ढंग से खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया निष्कर्ष यह है कि

से सहमति जताई। वैधानिक जमानत देने के लिए प्रार्थना की अस्वीकृति अपीलार्थी के अपने अनुरोध को आगे बढ़ाने के रास्ते में नहीं आएगी। योग्यता के आधार पर नियमित जमानत देने के लिए उपाय। [पारस 28-29] [401-एफएच; 402-ए-एफ] [2018] 1 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

हितेंद्र विष्णु ठाकुर बनाम। महाराष्ट्र राज्य (1994) 4 एससीसी 602: [1994] 1 पूरक। एस. सी. आर. 360; भारत संघ

वी. निराला यादव (2014) 9 एस. सी. सी. 457: [2014] 6 एससीआर 148;

उदय मोहनलाल आचार्य बनाम। महाराष्ट्र राज्य (2001)

5 एससीसी 453: [2001] 2 एस. सी. आर. 878; संजय दत्त बनाम राज्य

सी. बी. आई. (1994) 5 एस. सी. सी. 410 के माध्यम सेः [1994] 3 पूरक। एससीआर

263 संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

[1994] 1 पूरक। एससीआर 360

संदर्भित किया गया है

पैरा 13

[2014] 6 एससीआर 148

संदर्भित किया गया है

पैरा 18

[2001] 2 एससीआर 878

संदर्भित किया गया है

पैरा 18

[1994] 3 पूरक। एससीआर 263

संदर्भित किया गया है

पैरा 18

आपराधिक अपील

न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील

नं. 2181-2182 2017 से।

उच्च न्यायालय के 22.05.2017 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2017 की आपराधिक अपील संख्या 311 और आपराधिक एम. (जमानत) 2017 की सं. 525।

महमूद प्राचा, आर. एच. ए. सिकंदर, प्रतीक गुप्ता, मोहम्मद।

दानिश, मंसूर अली, श्रीमती सुधा गुप्ता, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

सुश्री पिंकी आनंद, ए. एस. जी., अमन सिन्हा, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सुश्री बीनू टम्टा,

सुमित तेतरवाल, बी. वी. बलराम दास, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

ए. एम. खानविलकर, जे. 1. विशेष अवकाश द्वारा ये अपीलें,

आपराधिक अपील No.311/2017 और आपराधिक एम. (जमानत) No.525/2017 में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 22 मई, 2017 को पारित निर्णय और आदेश की वैधता और स्थायित्व पर सवाल उठाते हैं।

2. संक्षेप में कहा गया है कि अपीलार्थी को अभियुक्त के रूप में नामित किया गया है

महाराष्ट्र नियंत्रण की धारा 3 और 4 के तहत दंडनीय अपराध के लिए पुलिस स्टेशन (विशेष प्रकोष्ठ), दिल्ली में 2015 की प्राथमिकी दर्ज की गई

संगठित अपराध अधिनियम, 1999 (इसके बाद "मकोका" के रूप में संदर्भित)। उसी पुलिस थाने में दर्ज शस्त्र अधिनियम की धारा 26 और 27 के तहत दंडनीय अपराध के लिए उन्हें प्राथमिकी No.65/2016 में भी आरोपी के रूप में नामित किया गया है। उक्त मामले के संबंध में उन्हें भगोड़ा घोषित किया गया था और बाद में 27 नवंबर, 2016 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था।

रामबीर शॉकिन वी। दिल्ली राज्य [ए. एम. खानविलकर, जे.]

3. अपीलार्थी को वर्तमान के संबंध में गिरफ्तार किया गया

1 दिसंबर, 2016 को। 90 दिनों की अवधि की समाप्ति से पहले,

राष्ट्रीय लोक अभियोजक ने 28 फरवरी, 2017 को एक आवेदन दायर किया

आरोप पत्र दाखिल करने का समय 15 मार्च, 2017 तक बढ़ा दिया गया है। द.

आवेदन इस प्रकार हैः

" अनुलग्नक पी-3

श्री राकेश पंत का न्यायालय, LD.ASJ, मकोका #

25 , पटियाला हाउस कोर्ट, नई दिल्ली।

एफ. आई. आर. सं. 10/2015 दिनांक 23.02.2015 यू/एस 3/4 एम. सी. ओ. सी. अधिनियम पीएस स्पेशल सेल, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।

एस. एल. नहीं। नाम, माता-पिता और पता

गिरफ्तारी की तारीख

रामबीर शॉकिन की आयु-37 वर्ष,

01

01.12.2016

एस/ओ श्री नवल सिंह आर/ओ H.No.151, विस्तार-IV, नांगलोई, दिल्ली-41 और

स्थायी पता -

H.No.70, गाँव वी.

कमरुद्दीन नगर, पी. एस. निहाल विहार, दिल्ली।

विषयः सीमा अवधि के विस्तार के संबंध में

15.03.2017

माननीय महोदय,

यह प्रस्तुत किया जाता है कि मैंने रिपोर्ट का अवलोकन किया है

इस मामले के जांच अधिकारी। उन पर लगे आरोप

वर्तमान मामले में उपरोक्त आरोपी रामबीर शोकीन यह है कि वह अन्य सिंडिकेट सदस्यों के साथ मिलकर एक संगठित संगठन चला रहा था

दिल्ली और अन्य राज्यों में एक श्रृंखला करके अपराध सिंडिकेट वीभत्स और शत्रुतापूर्ण हत्या सहित सनसनीखेज अपराधों का,

कुछ व्यापारियों द्वारा अपराधी से डराकर जबरन वसूली

सरकार को धमकाना, बाधा डालना। नौकर उन्हें रोकने के लिए

शस्त्र अधिनियम के तहत आधिकारिक कर्तव्यों और अपराधों का निर्वहन

आदि। उपरोक्त आरोपी रामबीर शोकीन लगातार

अपनी गिरफ्तारी से बचना और जाँच में शामिल नहीं हुआ। उस पर

20.04.2015 , उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था लेकिन

उसे फांसी नहीं दी जा सकी, क्योंकि उसके संभावित ठिकानों पर उपलब्ध नहीं था और बाद में आगे की कार्यवाही के बाद उन्हें पी. ओ. घोषित कर दिया गया।

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इस माननीय न्यायालय द्वारा 26.08.2015 पर। 27.11.2016 पर, उन्हें पी. एस. स्पेशल सेल, दिल्ली के यू/एस 25/27 आर्म्स एक्ट के मामले में गिरफ्तार किया गया था और बाद में 01.12.2016 को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था। मामला।

जाँच के दौरान, उपरोक्त आरोपी रामबीर शोकीन के खिलाफ निम्नलिखित सहित कई सबूत एकत्र किए गए हैं:

01. वर्ष 2006-2016 से 10.02.2017 दिनांकित आयकर रिटर्न रिपोर्ट (ITR), जो दर्शाती है कि उन्होंने इस अवधि के दौरान ITR दाखिल नहीं किया है, जबकि उन्होंने भारी खर्च किए हैं

अन्य खर्चों के अलावा वर्ष 2013 और 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनावों के दौरान।

02. के अपराध से संपत्ति के विवरण के बारे में रिपोर्ट

उप-पंजीयक पश्चिम, एस. डी. एम.-नांगलोई आदि।

03. उनके द्वारा निर्वाचन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत फॉर्म 26

चल और अचल संपत्तियों आदि का विवरण दिखाना।

मामले की जांच का पालन करने वाले समूहों पर किया जाना है 01. अभियुक्त द्वारा निर्वाचन आयोग के समक्ष वर्ष 2013 में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र-08 के लिए दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए प्रस्तुत फॉर्म 26 के अनुसार, उसने अपनी और अपनी पत्नी की अचल और चल संपत्ति दिखाई है जिसकी कीमत रु। 1.85 ( ), जबकि वह और उनकी पत्नी श्रीमती रीता शोकीन इस दौरान आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करते पाए गए हैं।

वर्ष 2006-2016, इसलिए इस बिंदु पर जांच है

आवश्यक है।

02. ऊपर उल्लिखित परिसंपत्तियों के संबंध में बड़ी राशि के स्रोत को सत्यापित करने के लिए अभियुक्त से आगे की पूछताछ करना, जबकि एक अवधि के लिए आई. टी. आर. 2006-2016 (एन. आई. एल. रिटर्न), जिसका विवरण इस पर प्राप्त किया गया था।

10.02.2017 .

उपरोक्त लंबित जांच बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए, यह विनम्रतापूर्वक अनुरोध किया जाता है कि उपरोक्त आरोपी रामबीर शोकीन के खिलाफ आरोप पत्र दायर करने की सीमा अवधि को 15.03.2017 तक बढ़ाया जा सकता है, ताकि उसके खिलाफ आरोप पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष रामबीर शोकीन बनाम द्वारा निर्धारित समय सीमा के अनुसार दायर किया जा सके।

दिल्ली राज्य [ए. एम. खानविलकर, जे.]

माननीय न्यायालय।

कृपया प्रस्तुत करें,

एस

. डी./- 28.02.17

(रवींद्र कुमार)

एडल्ट। लोक

अभियोजक

पटियाला हाउस कोर्ट, नई दिल्ली

तारीखः

28.02.2017 "

4. उसी दिन यानी 28 फरवरी, 2017 को आरोपी ने याचिका दायर की थी

मकोका की धारा 21 (2) (बी) के साथ पठित दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 (2) के तहत वैधानिक जमानत देने के लिए एक आवेदन। विशेष न्यायाधीश ने 28 फरवरी, 2017 के एक आदेश द्वारा अपीलार्थी की न्यायिक हिरासत को 1 मार्च, 2017 तक बढ़ा दिया। उक्त आदेश

इस प्रकार पढ़ता हैः

" जेसी की ओर से आगे विस्तार के लिए एक आवेदन दायर किया गया

आई. ओ. प्रतिलिपि दी गई है।

एल. डी. द्वारा भी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। उद्देश्यों के लिए राज्य के लिए ऐप

जे. सी. को 90 दिनों से आगे बढ़ाने और आगे की मांग के लिए

90 दिनों की अवधि से आगे जांच के लिए समय का विस्तार।

जे. सी. को 01.03.2017 तक बढ़ाया जाता है।

इस अनुप्रयोग पर तर्क के लिए मुख्य फ़ाइल के साथ रखें

01.03.2017 .

आदेश की प्रति दस्ती दी जाए।

5. 1 मार्च, 2017 को अपीलार्थी ने इसका विरोध करने के लिए अपना जवाब दाखिल किया।

अतिरिक्त लोक अभियोजक द्वारा दायर आवेदन में अपीलार्थी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने की सीमा अवधि को 15 मार्च, 2017 तक बढ़ाने की मांग की गई है। इसके अलावा, अपीलार्थी को जिला और सत्र

न्यायाधीश के समक्ष पेश किया गया और चूंकि विशेष न्यायालय का पीठासीन अधिकारी छुट्टी पर था, इसलिए जिला और सत्र न्यायाधीश ने निम्नलिखित आदेश पारित कियाः

" 01.03.2017

फाइल मेरे सामने रखी गई है श्री राकेश पंडित, एल. डी. स्प्ल. न्यायाधीश,

एन. आई. ए./पॉक्सो/मकोका, ए. एस. जे.-1, पी. एच. सी., नई दिल्ली छुट्टी पर है।

आज अस्वस्थता के कारण।

वर्तमानः श्री देवेंद्र कुमार, एल. डी. राज्य के लिए मुख्य पीपी [2018] 1 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

श्री रवीन्द्र कुमार के साथ, एल. डी. एडल्ट। पीपी और एसीपी

हृदय भूषण जेसी से आरोपी को पेश किया गया।

श्री महमूद प्राचा और श्री आर. एच. ए. सिकंदर, एल. सलाहकारों

अभियुक्त रामबीर शोकीन के लिए।

आरोपी रामबीर शोकीन की ओर से जवाब दाखिल किया गया है।

राज्य की ओर से दायर आवेदन के लिए

आरोप पत्र दाखिल करने के लिए समय का विस्तार। प्रतिलिपि प्रदान की गई।

राज्य की ओर से एक आवेदन दायर किया गया है

ऊपर नामित अभियुक्त के जेसी का विस्तार।

एलडी के रूप में। पीठासीन अधिकारी छुट्टी पर हैं। न्यायिक अभिरक्षा

अभियुक्त रामबीर शोकीन को 07.03.2017 तक बढ़ा दिया गया है। खूबियां दिनांकित 28.02.2017 आवेदन का निर्णय इसके द्वारा किया जाएगा

अभियुक्त की ओर से दायर आवेदन की प्रति के साथ Cr.P.C की धारा 167 (2) के तहत रामबीर शोकीन।

वैधानिक जमानत प्रदान करना। एल. डी. अभियुक्त के वकील को निर्देश दिया जाता है

दिन के दौरान उसी की प्रति प्रदान करने के लिए उचित प्राप्ति के विरुद्ध।

आगे की कार्यवाही के लिए 07.03.2017 पर रखें।

6. अगले दिन यानी 2 मार्च, 2017 को अपीलार्थी ने याचिका दायर की।

धारा 167 (2) के तहत वैधानिक जमानत देने के लिए आवेदन

ग. एमसीओसीए की धारा 21 (2) (बी) के साथ पढ़ें।

7. 4 मार्च, 2017 को एसीपी/विशेष प्रकोष्ठ/एन. डी. आर., लोधी कॉलोनी,

दिल्ली ने केंद्रीय जेल संख्या 3, तिहाड़, दिल्ली में अपीलार्थी की अनुमति के लिए विशेष अदालत के समक्ष एक आवेदन दायर किया। उक्त उद्धरण इस प्रकार हैः

" अनुलग्नक पी-8

श्री राकेश पंडित का न्यायालय, एल. डी. ए. एस. जे., मकोका #

25 , पटियाला हाउस कोर्ट, नई दिल्ली।

एफ. आई. आर. No.10/2015 दिनांक 23.02.2015 यू/एस 3/4 एम. सी. ओ. सी. अधिनियम पीएस

स्पेशल सेल, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।

रामबीर शॉकिन वी। दिल्ली राज्य [ए. एम. खानविलकर, जे.]

नाम, माता-पिता और

एस. आई.

गिरफ्तारी की

तारीख

पता

नहीं।

रेम्बीर शॉकिन वृद्ध

01

01.12.2016

37 वर्ष, एस/ओ श्री नवल सिंह

r/o H.No.151, एक्सटेंशन-IV,

दिल्ली-41

नांगलोई,

&

एस/वी

स्थायी पता-H.No.70,

गाँव कमरुद्दीन नगर, पी. एस.

निहाल विहार, दिल्ली।

विषयः केंद्रीय कारागार, तिहाड़, दिल्ली में पूछताछ की अनुमति के संबंध में।

माननीय महोदय,

यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले की जांच लंबित है

आरोपी रामबीर शोकीन और अन्य सिंडिकेट के खिलाफ

दिल्ली और अन्य राज्यों में एक संगठित अपराध सिंडिकेट चलाने के लिए सदस्यों ने वीभत्स और शत्रुतापूर्ण हत्या, जबरन वसूली सहित सनसनीखेज अपराधों की एक श्रृंखला को आपराधिक धमकी के साथ कुछ व्यापारियों द्वारा भय में डाल दिया

सरकार का अवरोध। सेवकों को निर्वहन से रोकने के लिए

शस्त्र अधिनियम आदि के तहत आधिकारिक कर्तव्य और अपराध।

01.12.2016 पर, आरोपी रामबीर शोकीन को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था। जाँच के दौरान यह पता चलता है कि नवंबर 2013 में, उन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए चुनाव आयोग के समक्ष एक हलफनामा दायर किया था। इस हलफनामे में उन्होंने अपनी और अपनी पत्नी की अचल और चल संपत्ति दिखाई है, जिसकी कीमत रु। 1. 85 करोड़ (लगभग)। आयकर विभाग की दिनांकित 10.02.2017 रिपोर्ट के अनुसार, न तो उन्होंने और न ही उनकी पत्नी श्रीमती रीता शोकीन ने वर्ष 2006-2016 के दौरान आयकर रिटर्न दाखिल किया है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह विनम्रतापूर्वक अनुरोध किया जाता है कि आरोपी रामबीर शोकीन से पूछताछ करने के लिए केंद्रीय जेल संख्या 3, तिहाड़, दिल्ली में आवश्यक अनुमति दी जाए। अभियुक्त रामबीर शोकीन न्यायिक हिरासत में चल रहा है।

07.03.2017 .

कृपया प्रस्तुत करें, [2018] 1 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एस. डी. /

(हृदय भूषण)

एसीपी/विशेष प्रकोष्ठ/एनडीआर

लोधी कॉलोनी, नई दिल्ली

तारीखः 04.03.2017 "

विशेष न्यायाधीश ने 4 मार्च को उक्त आवेदन पर विचार किया।

और अपीलार्थी से पूछताछ करने की अनुमति के लिए प्रार्थना की अनुमति दी

7 मार्च, 2017 से पहले न्यायिक हिरासत। द्वारा पारित आदेश

अल कोर्ट इस प्रकार पढ़ता हैः

" 04.03.2017

फाइल मेरे सामने श्री राकेश पंडित, एल. डी. के रूप में रखी गई है। स्प्ल. न्यायाधीश,

राष्ट्रीय सेमिनार, न्यायिक अकादमी, कटक। वर्तमानः श्री रवीन्द्र कुमार एल. डी. एडल्ट। राज्य के लिए पीपी

इंस्पेक्टर रविंदर कुमार के साथ एसीपी हृदय भूषण

त्यागी।

आरोपी पंकज सेहरावत, नीरज सेहरावत, नवीन डबास

और जे. सी. से निर्मित राहुल डबास।

विशेष प्रकोष्ठ की ओर से एक आवेदन दायर किया गया है

आरोपी रामबीर से पूछताछ करने की अनुमति मांगी

केंद्रीय जेल संख्या 3, तिहाड़ दिल्ली में शोकीन ने प्रस्तुत किया कि इस मामले में आरोपी रामबीर शोकीन को गिरफ्तार किया गया था।

01.12.2016 और वह जे. सी. में दौड़ रहा है जो अब तक बढ़ाया गया है 07.03.2017 . जांच में पता चला है कि

नवंबर, 2013 में उन्होंने चुनाव से पहले एक हलफनामा दायर किया है।

दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ेगा आयोग

और उक्त शपथ पत्र में, उन्होंने अपनी अचल संपत्ति और

चल संपत्ति के साथ-साथ उसकी पत्नी की भी जिसकी कीमत रु। 1.85

करोड़ (लगभग)। यह कहा गया है कि दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

10.02.2017 आयकर विभाग का, न तो वह और न ही उसका

पत्नी श्रीमती. रीता शोकीन ने इस दौरान आयकर विवरणी दाखिल की है।

वर्ष 2006-2016।

सुना है। तथ्य और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, आवेदन की अनुमति विशेष प्रकोष्ठ को रामबीर शॉकिन v. को दी गई है।

दिल्ली राज्य [ए. एम. खानविलकर, जे.]

न्यायिक हिरासत में आरोपी रामबीर शोकीन से पूछताछ करें

07.03.2017 से पहले। आवेदन का तदनुसार निपटारा किया जाता है। इस आदेश की प्रति अनुपालन के लिए अधीक्षक, तिहाड़ जेल, दिल्ली को भेजी जाए।

इस आदेश की प्रति विशेष प्रकोष्ठ को भी प्रार्थना के रूप में दी जाए।

के लिए।

आगे की कार्यवाही के लिए 18.03.2017 पर रखें।

8. 7 मार्च, 2017 को 28 फरवरी, 2017 के आरोप-पत्र के लिए समय बढ़ाने के लिए आवेदन और 2 मार्च, 2017 को वैधानिक जमानत देने के लिए अपीलार्थी द्वारा दायर आवेदन को रद्द कर दिया गया।

विशेष न्यायालय द्वारा। अदालत ने तर्क पर विचार करने के बादः

ई-पक्षों ने निम्नलिखित आदेश पारित कियाः

" 07.03.2017

वर्तमानः श्री रवीन्द्र कुमार एल. डी. राज्य के लिए ऐप।

श्री महमूद प्राचा और श्री. आर. एच. ए. सिकंदर के वकील

अभियुक्त।

आईओ एसीपी हिरडे भूषण व्यक्तिगत रूप से। समय बढ़ाने के लिए आवेदन पर सुनी गई दलीलें

जांच दिनांक 28.02.2017 और आवेदन पर यू/सेक। 161

(2) Cr.P.C. दिनांकित 02.03.2017 (सुबह 10.00 पर स्थानांतरित) इन अनुप्रयोगों पर ऑर्डर के लिए 08.03.2017 पर रखें।

जे. सी. को 08.03.2017 तक बढ़ाया जाता है।

आदेश की प्रति दस्ती दी जाए।

9. जैसा कि निर्देश दिया गया था, इस मामले को विशेष अदालत या आर्क, 2017 द्वारा लिया गया था जब अभियोजन पक्ष ने पूरक आरोप दायर किया था-शी

सेंट अपीलार्थी। न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित कियाः

" 08.03.2017

वर्तमानः श्री रवीन्द्र कुमार एल. डी. राज्य के लिए ऐप।

श्री महमूद प्राचा और श्री. आर. एच. ए. सिकंदर और प्रती

गुप्ता अभियुक्त रामबीर शोकीन के वकील हैं।

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आईओ एसीपी हिरडे भूषण व्यक्तिगत रूप से।

जेसी के आरोपी रामबीर शोकीन। अभियुक्त के संबंध में दायर पूरक आरोप पत्र

रामबीर शोकीन।

विचाराधीन आरोप पत्र मैं अपराधों का संज्ञान लेता हूं

शामिल हैं।

रामबीर शोकीन के खिलाफ आरोप पत्र के संबंध में दिए गए दस्तावेजों की प्रतियां। आई. ओ. द्वारा अन्य अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ पहले के आरोप पत्र की प्रति प्रदान करने के लिए समय मांगा गया है। 7 कार्य दिवसों के भीतर इसकी आपूर्ति की जाए।

18.03.2017 पर दस्तावेजों की जांच के लिए रखें।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पूरक आरोप पत्र में अभियुक्त रामबीर शोकीन के खिलाफ पहले ही दायर किया जा चुका है, इसलिए समय बढ़ाने के संबंध में आवेदन दिनांक 28.02.2017

निष्फल हो जाता है और इस प्रकार निष्फल के रूप में खारिज कर दिया जाता है।

आवेदन यू/सेकंड पर तर्क/आदेश के लिए प्रस्तुत करें। 167 (2)

Cr.P.C. 09.03.2017 पर।

10. 9 मार्च, 2017 को इस मामले पर फिर से सुनवाई की गई, जब वैधानिक जमानत याचिका पर एनजी अनिर्णायक रही। अदालत ने

घ निम्नलिखित क्रमः

" 09.03.2017

वर्तमानः श्री रवीन्द्र कुमार एल. डी. राज्य के लिए ऐप।

श्री महमूद प्राचा और प्रतीक गुप्ता आरोपी रामबीर शोकीन।

आवेदन यू/सेक पर आंशिक तर्क। 167 (2) Cr.P.C।

सुना है।

इस आवेदन पर आगे के तर्कों के लिए प्रस्तुत करें

14.03.2017 . ”

11. अंततः 14 मार्च, 2017 को विशेष अदालत ने अपीलार्थी द्वारा दायर 2 मार्च, 2017 की ओ. आर. आई. जमानत याचिका को खारिज कर दिया। विशेष द्वारा अभिलिखित टिप्पणियों/कारणों का सार

टी पढ़ता है:

रामबीर शॉकिन वी। दिल्ली राज्य [ए. एम. खानविलकर, जे.]

" XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

अतः, इन परिस्थितियों में, आवेदन दिनांक 28.02.2017 अर्थात आरोप पत्र दाखिल करने की अवधि बढ़ाने की मांग करना / जाँच का निर्णय गुण-दोष के आधार पर नहीं किया गया था (जैसा कि आदेश में कहा गया था)

दिनांकित 01.03.2017)। इसके अलावा, 08.03.2017 पर योग्यता के आधार पर निर्णय नहीं लिया जा सकता है क्योंकि इस आवेदन पर आदेश से पहले ही आरोप पत्र दायर किया जा चुका है। इसलिए, इन परिस्थितियों में, इस आवेदन में अदालत के समक्ष मुद्दा यह है कि क्या 01.03.2017 दिनांकित आदेश के माध्यम से, Ld की उक्त अदालत। जिला और सत्र न्यायाधीश, एन. डी. डी. अभियुक्त की न्यायिक हिरासत बढ़ाने या न बढ़ाने की अपनी शक्ति के भीतर था और उस उद्देश्य के लिए कि क्या जांच की अवधि बढ़ाने का कोई विशिष्ट आदेश होना चाहिए।

जहां तक इस मुद्दे का संबंध है, कानून कहता है कि यह जांच एजेंसी का विशेषाधिकार है कि वह अपनी इच्छा के अनुसार आरोप पत्र दायर करे/जांच पूरी करे। न्यायालय जाँचक अवधि/अवधिमे हस्तक्षेप नहि कऽ सकैत अछि। हालाँकि, Sec.21 (2) (b) मकोका में, शर्त यह है कि यदि जांच 90 दिनों के भीतर पूरी नहीं होती है और अभियोजन पक्ष/आई. ओ. चाहता है कि आरोपी न्यायिक हिरासत में रहे, तो ही उसे मकोका के Sec.21 (2) (b) के संदर्भ में आगे बढ़ना होगा।

सेक. 167 (2) Cr.P.C. अभियुक्त द्वारा, आरोप-पत्र से पहले)। आदेश पारित नहीं किया जा सका क्योंकि Sec.5 (5) मकोका के तहत अदालत ने कहा था कि संबंधित अदालत द्वारा इसकी सुनवाई की जानी है। इसलिए आई. ओ. की ओर से कोई चूक नहीं हुई। उन्होंने पहले ही समय पर आवेदन भेज दिया था। जहाँ तक जे. सी. का संबंध है, आवेदन यू/से. के बाद संबंधित अदालत द्वारा इसे बढ़ा दिया गया है। 28 (2) (ख) आई. ओ. द्वारा एम. सी. ओ. सी. ए. पहले ही स्थानांतरित किया जा चुका है। इसलिए, इन परिस्थितियों में, अदालत ने न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ाने के लिए कानूनी तरीके से काम किया था। समय बढ़ाने का अनुरोध करने वाला आवेदन पहले से ही अदालत में लंबित था।

इसलिए, इन परिस्थितियों में, ऐसा कोई आधार मौजूद नहीं है जो यह सुझाव देता हो कि [2018] 1 एस. सी. आर. की अवधि के बाद अभियुक्त की अवैध हिरासत थी।

उसकी पहली न्यायिक हिरासत के दिन से 90 दिनों के लिए और वह है यू/एस के तहत वैधानिक जमानत के लिए हकदार। 21 (2) (ख) मकोका का।

तो, आवेदन यू/सेकंड। 167 (2) Cr.P.C. वैकल्पिक रूप से आवेदन यू/सेकंड के रूप में पढ़ा जाता है। 21 (2) (ख) मकोका को खारिज कर दिया जाता है।

आदेश की प्रति दस्ती दी जाए।

पहले से तय तिथि पर निर्धारित उद्देश्य के लिए आवेदन करें।

18.03.2017 . ”

12. पीड़ित, अपीलार्थी ने नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष आपराधिक अपील No.311/2017 दायर की और वैधता को चुनौती दी 1 मार्च, 2017,4 मार्च, 2017,7 मार्च, 2017 और 14 मार्च, 2017 के आदेश। इसके अलावा, अपीलार्थी ने अंतरिम जमानत देने के लिए एक आवेदन दायर किया। विवादित निर्णय द्वारा, उच्च न्यायालय ने 22 मई, 2017 को आपराधिक अपील No.311/2017 और आपराधिक एम. (जमानत) No.525/2017 को खारिज कर दिया है।

13. उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी का प्रमुख तर्क, जैसा कि विवादित निर्णय के पैराग्राफ 20 में उल्लेख किया गया है, यह है कि रिपोर्ट / अतिरिक्त लोक अभियोजक द्वारा विस्तार के लिए प्रस्तुत आवेदन

15 मार्च, 2017 तक आरोप-पत्र दाखिल करने का समय, Cr.P.C की धारा 167 (2) के परंतुक की आवश्यकता के अनुरूप नहीं था। अपीलार्थी ने हितेंद्र विष्णु ठाकुर बनाम मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया। महाराष्ट्र राज्य, 1 उनके समर्पण को समर्थन देने के लिए। उक्त निर्णय में वर्णित कानूनी स्थिति को स्वीकार करने के बाद, उच्च न्यायालय ने

पैराग्राफ 24 ने इस मुद्दे का जवाब देने के लिए प्रासंगिक तथ्यात्मक मैट्रिक्स पर विचार किया। अपीलार्थी द्वारा विशेष रूप से उठाए गए विवाद को विवादित निर्णय के पैराग्राफ 25 से निपटाया गया है और इस प्रकार नोट किया गया हैः

" 25. लोक अभियोजक द्वारा 28.2.2017 पर प्रस्तुत अनुरोध जिसमें इस मामले में उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर करने की अवधि को 15.3.2017 तक बढ़ाने की मांग की गई थी, संक्षेप में जांच अधिकारी की रिपोर्ट का उल्लेख किया गया था जिसे

उसके (लोक अभियोजक) के समक्ष प्रस्तुत किया गया और उसके

अपीलार्थी की आय और परिसंपत्तियों के संबंध में साक्ष्य एकत्र करने के लिए उठाए गए कुछ कदमों का संकेत देते हुए संक्षिप्त पृष्ठभूमि तथ्यों का उल्लेख किया गया था। लोक अभियोजक ने उक्त अनुरोध द्वारा विशेष अदालत को लिखित रूप में सूचित किया कि मामले की जांच, अन्य बातों के साथ-साथ, स्रोत के बारे में उनकी आगे की पूछताछ द्वारा की जानी थी।

1 (1994) 4 एस. सी. सी. 602 रैम्बर शॉकिन बनाम।

दिल्ली राज्य [ए. एम. खानविलकर, जे.]

रुपये की संपत्ति प्राप्त करने के लिए धन। 1.85 2013 में दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ने के समय उनके और उनकी पत्नी के पास चुनाव आयोग के पास घोषित किए गए करोड़ रुपये, आय-कर विवरणी उनके या उनकी पत्नी द्वारा 2006-2016 के दौरान दाखिल नहीं की गई थी।

26. यहाँ यह उल्लेख करना उचित है कि पूछताछ के लिए अनुरोध

जिला और सत्र न्यायाधीश द्वारा उसी तारीख को दी गई जाँच अधिकारी द्वारा अभिरक्षा में अपीलार्थी की अभिरक्षा, उन्हीं कारणों से और उन्हीं आधारों पर थी जो लोक अभियोजक द्वारा 28.2.2017 पर प्रस्तुत अपने अनुरोध में निर्धारित किए गए थे।

27. यह सच है कि 28.2.2017 पर प्रस्तुत लोक अभियोजक के अनुरोध को 'रिपोर्ट' के रूप में शीर्षक नहीं दिया गया है और न ही ऐसा किया गया है

विशेष रूप से दूसरे में निहित प्रावधान का उल्लेख करें

धारा 167 (2) Cr.P.C का प्रावधान। लेकिन, इसे एक कमी के रूप में नहीं माना जा सकता है। यह ध्यान में रखना होगा कि यह एक नहीं है

रूप का पदार्थ लेकिन पदार्थ का एक। अतिरिक्त लोक अभियोजक का लिखित अनुरोध दिनांक 28.2.2017 संतुष्ट करता है।

धारा 167 (2) Cr.P.C के दूसरे परंतुक के दोहरे मानदंड। यह इंगित करता है कि लोक अभियोजक ने इसके अधीन किया था।

जाँच अधिकारी की रिपोर्ट जो उसे जाँच के लिए दी गई थी और उसने अदालत को जाँच की प्रगति के बारे में भी सूचित किया और यह भी बताया कि अपीलार्थी को हिरासत में बनाए रखना क्यों आवश्यक था। इसलिए, इसे धारा 167 (2) Cr.P.C के दूसरे परंतुक की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले लोक अभियोजक की 'रिपोर्ट' के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए।

विशेष अदालत में प्रस्तुत की गई तारीख पर प्रचलित इस तरह की रिपोर्ट पर अलग से विचार करना होगा।

28. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अपीलार्थी ने एक आवेदन दायर किया था

धारा 167 (2) Cr.P.C के तहत धारा 167 (2) Cr.P.C के तहत डिफ़ॉल्ट रूप से जमानत पर रिहाई के लिए। अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा यह उचित रूप से स्वीकार किया जाता है कि 28.2.2017 पर दिया गया ऐसा आवेदन समय से पहले था क्योंकि नब्बे दिन केवल 1.3.2017 पर समाप्त होंगे।

29. 28.2.2017 पर, जाँच के आवेदन के अलावा

[2018] 1 एस. सी. आर. की हिरासत अवधि बढ़ाने की मांग करने वाले अधिकारी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अपीलार्थी, जाँच की अवधि बढ़ाने के लिए लोक अभियोजक की रिपोर्ट को प्रस्तुत किया जाना था

विशेष अदालत। बिना किसी संदेह के, नब्बे दिनों की अवधि की समाप्ति से पहले या सामान्य रूप से उपलब्ध ऐसी अवधि के अंतिम दिन रिपोर्ट पर विचार किया जा सकता है जो 1.3.2017 होगी।

विशेष अदालत ने अपने न्यायिक विवेक के तहत विचार को अगली तारीख यानी 1.3.2017 तक स्थगित करने का फैसला किया।

जिला और सत्र न्यायाधीश द्वारा 1.3.2017 पर पारित आदेश में यह परिलक्षित होता है, जैसा कि पहले निकाला गया था, कि विशेष अदालत की अध्यक्षता करने वाला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अस्वस्थ था और इसलिए, 1.3.2017 पर अनुपस्थिति की छुट्टी पर था। जिला और सत्र न्यायाधीश, जिनके समक्ष फाइल रखी गई थी

लोक अभियोजक की रिपोर्ट और जांच अधिकारी के आवेदन पर विचार करते हुए, ऐसी अवधि के लिए न्यायिक हिरासत का विस्तार करते हुए पूर्व को 'संबंधित अदालत द्वारा तय' करने के लिए 7.3.2017 पर स्थगित करने का निर्णय लिया गया। इस याचिका पर कि जिला और सत्र न्यायाधीश की अदालत की अध्यक्षता करने वाले न्यायिक अधिकारी को नामित नहीं किया गया था, मकोका के तहत इस मामले से निपटने के लिए जिला और सत्र न्यायाधीश की क्षमता पर सवाल उठाए गए हैं।

धारा 5 मकोका के संदर्भ में एक विशेष अदालत के रूप में।

14. जिला और सत्र न्यायाधीश की क्षमता के संबंध में तर्क पर विचार करते हुए, उच्च न्यायालय ने अधिसूचना का उल्लेख किया

विशेष अधिनियम की धारा 5 के लिए उत्तरदायी। इसके अलावा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा के प्रत्येक सदस्य को, अन्य बातों के साथ-साथ, मकोका के तहत विशेष न्यायालय के पीठासीन अधिकारी की शक्तियां प्रदान कीः दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तक विस्तारित, ऐसे पद के "प्रभार ग्रहण करने की तारीख से प्रभावी" शक्तियों का प्रयोग करने के लिए "दिल्ली के मुख्य न्यायाधीश द्वारा स्थानांतरण या नियुक्ति आदेश" के अनुसरण में।

दिल्ली उच्च न्यायालय "।

15. उच्च न्यायालय ने तब उन आधारों पर विचार किया जिनका आग्रह किया गया था

अपीलार्थी ने और एम. सी. ओ. सी. ए. की धारा 5 और सामान्य खंड अधिनियम की धारा 15 और दोनों पक्षों द्वारा सेवा में लगाए गए कथित उदाहरणों को स्वीकार करने के बाद, अपीलार्थी के खिलाफ मुद्दे का जवाब दिया। उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि 15 सितंबर की अधिसूचना की वैधता, रामबीर शौकीन बनाम।

दिल्ली राज्य [ए. एम. खानविलकर, जे.]

, दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उपराज्यपाल द्वारा जारी, अन्य बातों के साथ-साथ, दिल्ली उच्च सेवा के सदस्यों द्वारा एमसीओसीए के संदर्भ में प्रयोग की जाने वाली शक्तियां, इस तरह के सशक्तिकरण "पूर्व

लो ", सवाल नहीं किया जा सकता है। 16. जहाँ तक वैधानिक अनुदान के लिए आवेदन के गुण-दोषों का संबंध है, उच्च न्यायालय ने पक्षों द्वारा किए गए निर्णयों को स्वीकार किया। 69 न्यायालय ने तब टिप्पणी कीः

" 69. जैसा कि ऊपर अभिनिर्धारित किया गया है, जिला और सत्र न्यायाधीश, अन्य बातों के साथ-साथ, 01.03.2017 पर लोक अभियोजक की रिपोर्ट से उत्पन्न मामले पर विचार करते हुए, और

विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने वाले अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश

अन्य बातों के अलावा, 07.03.2017 और 08.03.2017 पर लोक अभियोजक की उक्त रिपोर्ट से निपटना, न्यायिक जिम्मेदारी का ठीक से निर्वहन करने में विफल रहा। लोक अभियोजक की रिपोर्ट पर विचार, प्रस्तुत (28.02.2017 पर)

आरोप पत्र प्रस्तुत करके पराजित नहीं किया जा सकता है 07.03.2017 . हालांकि, महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या

वास्तव में ऐसा लाभ अपीलार्थी को दिया जा सकता है।

ऐसी स्थिति जहाँ जाँचकर्ता पुलिस अधिकारी और लोक अभियोजक ने कानून के तहत अपने कर्तव्य का पालन किया हो,

ठीक समय के भीतर, और लोक अभियोजक की रिपोर्ट पर विचार करने और निर्णय लेने में चूक पूरी तरह से कारणों (या, हम कहेंगे, गलती) के लिए थी

जिला और सत्र न्यायाधीश और विशेष न्यायालय।

17. फिर से पैराग्राफ 74 से 77 में, न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी कीः

" 74. यह स्पष्ट है कि धारा 167 (2) के दूसरे परंतुक के संदर्भ में लोक अभियोजक द्वारा 28.02.2017 पर प्रस्तुत रिपोर्ट

क्र. पी. सी. ने पूरा करने के लिए समय बढ़ाने की मांग की

जाँच पर अदालत ने उचित विचार नहीं किया।

यदि वे आधार जिनके आधार पर लोक अभियोजक [2018] 1 एस. सी. आर. था।

समय बढ़ाने की सिफारिश करना पर्याप्त था, इसके इनकार के लिए कोई औचित्य नहीं होगा और इसके परिणामस्वरूप अपीलार्थी को डिफ़ॉल्ट रूप से जमानत पर रिहा करने का कोई औचित्य नहीं होगा।

यदि, दूसरी ओर, अनुरोध निराधार था, तो इसे अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए था और डिफ़ॉल्ट रूप से जमानत पर रिहाई बढ़ाने का एक उचित आदेश पारित किया जाना चाहिए था।

75. चूंकि रिपोर्ट पर उचित विचार नहीं किया गया था और इसे अनुचित रूप से 'निष्फल' माना गया था, इसलिए इस अदालत के समक्ष दो विकल्प उपलब्ध हैं-पहला, रिपोर्ट पर उचित निर्णय के लिए मामले को विशेष अदालत को वापस भेजना या दूसरा, रिपोर्ट पर विचार करना और उस पर उचित आदेश पारित करना। पूर्ववर्ती पाठ्यक्रम में केवल और देरी होगी। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रश्नों से जुड़े मामले में, ऐसा पाठ्यक्रम वांछनीय नहीं है। इस दृष्टिकोण में, दोनों पक्षों के विद्वान वकील को भी लोक अभियोजक की रिपोर्ट के गुण-दोष पर सुना गया। यह ध्यान में रखते हुए कि यह न्यायालय न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने और न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए कर्तव्यबद्ध है।

76. मामले की पृष्ठभूमि के तथ्य और परिस्थितियाँ

अपीलार्थी के खिलाफ पहले ही नोट किया जा चुका है। अपीलार्थी और उसके निकटतम परिवार के सदस्यों की कुछ संपत्तियां सामने आई थीं, जिनके लिए, विशेष रूप से 2013 में इस विषय पर की गई घोषणा को देखते हुए, जब वह दिल्ली विधानसभा के चुनाव में उम्मीदवार थे, प्रथम दृष्टया कोई विवरण नहीं था। ध्यान देने योग्य बात यह है कि जाँच अधिकारी इन तथ्यों के खिलाफ अपीलार्थी से पूछताछ करने का अवसर मांग रहा था ताकि उसका स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, प्राप्त किया जा सके। विशेष अधिनियम (मकोका) के प्रावधानों के तहत, जांच करने वाली पुलिस

अधिकारी न्यायिक हिरासत में अभियुक्त से पूछताछ करने का हकदार है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, जांच अधिकारी द्वारा इस आशय के एक औपचारिक अनुरोध को दिनांकित आदेश द्वारा अनुमति दी गई थी

04.03.2017 . इस प्रकार, लोक अभियोजक द्वारा 28.02.2017 पर प्रस्तुत रिपोर्ट, मकोका की धारा 21 (2) द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता में अंतःस्थापित धारा 167 (2) के दूसरे परंतुक के आवश्यक समावेश को पारित करती पाई गई है। तथ्य यह है कि आरोप पत्र 08.03.2017 पर दाखिल किया गया था, केवल इस बात का आश्वासन देता है कि पूरा करने के लिए समय बढ़ाने का अनुरोध

28.02.2017 पर की गई जाँच गलत उद्देश्य से नहीं की गई थी।

रामबीर शॉकिन वी। दिल्ली राज्य [ए. एम. खानविलकर, जे.]

अनुमति दी जानी चाहिए। उक्त रिपोर्ट की रद्दीकरण के रूप में " "निष्फल", दिनांकित 08.03.2017 के आदेश द्वारा, इस प्रकार न केवल गलत बल्कि अनुचित भी था। इन परिस्थितियों में, इस न्यायालय में निहित अधिकारिता का प्रयोग करते हुए पारित आदेश की शुद्धता, वैधता या औचित्य के बारे में या निम्न आपराधिक न्यायालय की कार्यवाही की नियमितता के बारे में खुद को संतुष्ट करने के लिए

आई. पी. आर. की धारा 167 (2) के दूसरे प्रावधान के तहत अभियोजक। पी. सी. को अलग रखा जाता है और इसके बजाय उक्त रिपोर्ट को स्वीकार किया जाता है और हाथ में मामले की जांच पूरी करने की अवधि

अपीलार्थी के खिलाफ 08.03.2017 तक बढ़ाया जाता है जब धारा 173 सी. आर. पी. के तहत रिपोर्ट। वास्तव में उनके खिलाफ पी. सी. (पूरक आरोप पत्र) दायर किया गया था। इस दृष्टिकोण में, धारा 167 (2) के तहत डिफ़ॉल्ट रूप से जमानत पर रिहाई के लिए अपीलार्थी की प्रार्थना

इसे अस्वीकार्य माना जाता है और तदनुसार अस्वीकार कर दिया जाता है।

अपीलार्थी के वकील द्वारा किया गया प्रचार वैधानिक जमानत देने के लिए अपीलार्थी की पात्रता के बारे में था क्योंकि यह स्वीकार किया जाता है कि विशेष न्यायालय ने अतिरिक्त लोक अभियोजक द्वारा पसंद किए गए अपीलार्थी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने के लिए समय बढ़ाने के लिए रिपोर्ट/आवेदन पर कोई विशिष्ट आदेश पारित नहीं किया था। ऐसे आदेश के अभाव में, अपीलार्थी का तर्क है कि अपीलार्थी ने एक अक्षम्य अधिकार प्राप्त कर लिया है। इस प्रकार, उन्हें एम. सी. ओ. सी. ए. की धारा 21 (2) (बी) के साथ पठित Cr.P.C की धारा 167 (2) के तहत 2 मार्च, 2017 के आवेदन के अनुसार वैधानिक जमानत दी जानी चाहिए थी। चूंकि 90 दिनों की वैधानिक अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी थी और विशेष अदालत द्वारा अभियोजन पक्ष को आरोप पत्र दायर करने के लिए कोई समय नहीं दिया गया था, 8 मार्च, 2017 को अपीलार्थी के खिलाफ आरोप पत्र दायर करना अपीलार्थी को वैधानिक जमानत से वंचित नहीं कर सकता था। उनके समर्पण के समर्थन में, भारत संघ बनाम के मामले में निर्णयों पर निर्भरता रखी गई है। निराला यादव, 2 उदय मोहनलाल आचार्य

2 (2014) 9 एससीसी 457 [2018] 1 एस. सी. आर.

वी. महाराष्ट्र राज्य, 3 और संजय दत्त बनाम। 4. सी. बी. आई. के माध्यम से बताएँ। इन अपीलों में अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा किसी अन्य तर्क का प्रचार नहीं किया गया है।

19. दूसरी ओर प्रतिवादी विशेष न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा इनका विरोध करने के लिए दर्ज किए गए कारणों का समर्थन करेगा। अपीलें करें। प्रत्यर्थी के अनुसार, विशेष न्यायालय और उच्च न्यायालय ने अनुदान के लिए अनुरोध को अस्वीकार करने में कोई त्रुटि नहीं की है

वर्तमान मामले के निर्विवाद तथ्यों को देखते हुए वैधानिक जमानत। अपीलार्थी को अच्छी तरह से सलाह दी गई थी कि वह अनुदान के लिए अपने आवेदन को आगे न बढ़ाए

वैधानिक जमानत आवेदन दिनांक 28 फरवरी, 2017। क्योंकि उस तारीख तक आरोप पत्र दाखिल करने की 90 दिनों की अवधि समाप्त नहीं हुई थी। नतीजतन, वैधानिक जमानत देने के लिए अनुरोध पर विचार करने का सवाल ही नहीं उठा। 2 मार्च, 2017 को दायर वैधानिक जमानत आवेदन के संबंध में, इसे भी गलत समझा गया था क्योंकि अतिरिक्त लोक अभियोजक ने

पहले से ही 28 फरवरी, 2017 को समय बढ़ाने के लिए रिपोर्ट/आवेदन दायर किया गया था और अदालत ने अपीलार्थी की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी थी

अंततः इसे 8 मार्च, 2017 तक बढ़ा दिया गया। इसके अलावा, केवल इसलिए कि अतिरिक्त लोक अभियोजक की उक्त रिपोर्ट/आवेदन पर 2 मार्च, 2017 को या उस मामले के लिए 8 मार्च, 2017 तक कोई स्पष्ट आदेश पारित नहीं किया गया था, जब तक कि अपीलार्थी के खिलाफ आरोप पत्र दायर नहीं किया गया था, वास्तव में अपीलार्थी के पक्ष में कोई अधिकार नहीं था। के लिए, अपीलार्थी की न्यायिक हिरासत को सक्षम न्यायालय द्वारा जानबूझकर बढ़ाया गया था समय-समय पर (28 फरवरी, 2017 से आरोप पत्र दाखिल करने तक)। किसी भी मामले में, विशेष न्यायालय, कानूनी रूप से, अतिरिक्त जनता द्वारा पसंद किए गए समय के विस्तार के लिए पहले उक्त रिपोर्ट/आवेदन पर निर्णय लेने के लिए बाध्य था।

अभियोजक, और केवल तभी जब उसे आरोप-पत्र दायर करने या अपीलार्थी की न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने से पहले अस्वीकार किया जाना था, अपीलार्थी यह दावा कर सकता था कि उसके पक्ष में एक अक्षम्य अधिकार अर्जित हुआ था। दूसरे शब्दों में, अपीलार्थी द्वारा 2 मार्च, 2017 को वैधानिक जमानत देने के लिए आवेदन भी समय से पहले और किसी भी मामले में किया गया था।

जब तक 28 फरवरी, 2017 को अतिरिक्त लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत आरोप-पत्र दाखिल करने के लिए समय बढ़ाने के लिए रिपोर्ट/आवेदन अंततः प्रस्तुत नहीं किया जाता, तब तक इस मामले पर विचार नहीं किया जा सकता था।

तय किया। इस प्रस्तुति के समर्थन में, इस पर निर्भरता रखी गई है

3 (2001) 5 एससीसी 453 4 (1994) 5 एस. सी. सी. 410 रैम्बर शॉकिन बनाम।

दिल्ली राज्य [ए. एम. खानविलकर, जे.]

संजय दत्त के मामले में संविधान पीठ के फैसले के पैराग्राफ 48 में कहा गया है। यह तर्क दिया जाता है कि उदय मोहनलाल आचार्य (ऊपर), निराला यादव (ऊपर) और संजय दत्त के फैसलों से अपीलार्थी को कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि उन मामलों में स्पष्टीकरण उन मामलों के तथ्यों के आलोक में था। यह तर्क दिया जाता है कि उच्च न्यायालय ने समय बढ़ाने के लिए 28 फरवरी, 2017 की अतिरिक्त लोक अभियोजक की रिपोर्ट के गुण-दोष पर उचित रूप से विचार किया और प्रासंगिक पहलुओं का विश्लेषण करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि अतिरिक्त लोक अभियोजक द्वारा किया गया अनुरोध

अभियोजक वास्तविक और उचित था। उच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद निष्कर्ष निकाला कि अपीलार्थी के खिलाफ आरोप पत्र दायर करने का समय 8 मार्च, 2017 तक बढ़ा दिया गया था, जब वह वास्तव में दायर किया गया था। परिणामस्वरूप, अपीलार्थी द्वारा 2 मार्च, 2017 को दायर वैधानिक जमानत देने का आवेदन खारिज होने के लिए बाध्य था। प्रत्यर्थियों के अनुसार, ये अपीलें योग्यता से रहित हैं और इन्हें खारिज किया जाना चाहिए।

20. हमने अपीलार्थी की ओर से पेश विद्वान वकील श्री महमूद प्राचा और सुश्री पिंकी आनंद को सुना है।

सॉलिसिटर जनरल श्री अमन सिन्हा, विद्वान वरिष्ठ वकील और श्री बी. वी. बलराम दास, प्रतिवादी के विद्वान वकील की सहायता से। 21. 28 फरवरी, 2017 से 8 मार्च, 2017 तक सामने आए तथ्यों और घटनाओं का विश्लेषण करने के बाद, यह निर्विवाद है कि 28 फरवरी, 2017 को अतिरिक्त लोक अभियोजक ने इसके लिए रिपोर्ट दायर की थी।

अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल करने का समय 15 मार्च, 2017 तक बढ़ाया गया। विषय एफ. आई. आर. के संबंध में अपीलार्थी की प्रारंभिक गिरफ्तारी की तारीख से 90 दिनों की समाप्ति से पहले, इसे समय के भीतर दायर किया गया था। इस स्थिति को महसूस करते हुए, अपीलार्थी ने 28 फरवरी, 2017 को वैधानिक जमानत के लिए अपने पहले आवेदन को आगे नहीं बढ़ाया। इसके बजाय, उन्हें 2 मार्च, 2017 को एक नया वैधानिक जमानत आवेदन दायर करने की सलाह दी गई थी। मान लीजिए कि 2 मार्च, 2017 को अतिरिक्त लोक अभियोजक द्वारा 28 फरवरी, 2017 को प्रस्तुत की गई रिपोर्ट अभी भी अनिश्चित थी। अतः यह कहा जा सकता है कि चूक के आधार पर जमानत देने के लिए अपीलार्थी को कोई अधिकार प्राप्त नहीं हुआ है। कानून में, केवल अतिरिक्त लोक अभियोजक द्वारा मांगे गए समय के विस्तार के लिए अनुरोध की अस्वीकृति पर, वैधानिक जमानत देने के लिए अपीलार्थी के पक्ष में अधिकार प्रज्वलित हो सकता था। केवल यह तथ्य कि विषय एफ. आई. आर. के संबंध में अपीलार्थी की प्रारंभिक गिरफ्तारी की तारीख से 90 दिनों की अवधि 2 तारीख को समाप्त हो गई थी। मार्च, 2017, निर्विवाद रूप से अपीलार्थी को वैधानिक जमानत देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता था। मोरेसो, जब 8 [2018] 1 एस. सी. आर. तक अतिरिक्त लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट/आवेदन पर न्यायालय द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मार्च, 2017, जिस तारीख को अपीलार्थी के खिलाफ अदालत में पूरक आरोप पत्र दायर किया गया था। दाखिल करने के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थी के खिलाफ पूरक आरोप-पत्र, इस तथ्य के साथ कि उसकी न्यायिक हिरासत को सक्षम न्यायालय द्वारा बढ़ाया गया था

अधिकारिता जब तक आरोप पत्र दायर करने के लिए समय बढ़ाने के लिए रिपोर्ट/आवेदन पर विचार की लंबितता, कानूनी रूप से, यह समझ से परे है कि अपीलार्थी कैसे दावा कर सकता है कि उसे चूक के आधार पर जमानत पर रिहा होने का कोई अर्जित अधिकार है या उस मामले के लिए, ऐसा अधिकार अक्षम्य हो गया है।

22. संजय दत्त (ऊपर) के मामले में उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने विशेष रूप से पैराग्राफ 48 में कानूनी स्थिति की व्याख्या इस प्रकार की हैः

" 48. हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि धारा 20 (4) (बी. बी.) के आधार पर जमानत पर रिहा होने के अभियुक्त के अक्षम्य अधिकार की प्रकृति के बारे में हमारे सामने सामान्य रुख उस निर्णय में बताए गए सिद्धांत के सही अध्ययन पर आधारित है। द.

ऐसी स्थिति में अभियुक्त को प्राप्त होने वाला अक्षम्य अधिकार चालान दाखिल करने से पहले ही लागू किया जा सकता है और यदि पहले से ही इसका लाभ नहीं उठाया गया है तो यह चालान दायर करने पर जीवित नहीं रहता है या लागू नहीं किया जा सकता है। एक बार चालान दाखिल हो जाने के बाद, जमानत देने के प्रश्न पर विचार किया जाना चाहिए और चालान दाखिल करने के बाद किसी आरोपी को जमानत देने से संबंधित प्रावधानों के तहत मामले के गुण-दोष के संदर्भ में ही निर्णय लिया जाना चाहिए। चालान दाखिल किए जाने के बाद अभियुक्त की अभिरक्षा धारा 167 द्वारा नहीं बल्कि दंड प्रक्रिया संहिता के विभिन्न प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होती है। अगर

वह अधिकार अभियुक्त को अर्जित हुआ था लेकिन यह बना रहा

चालान दाखिल किए जाने तक इसे लागू नहीं किया जाता है, फिर इसके बाद इसे लागू करने का कोई सवाल ही नहीं है क्योंकि चालान दाखिल किए जाने के साथ ही इसे समाप्त कर दिया जाता है क्योंकि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 लागू होना बंद हो जाती है। डिवीजन बेंच ने यह भी संकेत दिया कि अगर जमानत पर रिहाई के लिए आरोपी का ऐसा कोई आवेदन है और

धारा 20 (4) (बी. बी.) में प्रावधान के अनुसार जांच को पूरा करने के लिए समय बढ़ाने की प्रार्थना, दोनों पर एक साथ विचार किया जाना चाहिए। यह स्पष्ट है कि ऐसे मामले में भी कोई जमानत नहीं दी जा सकती है जब तक कि अवधि बढ़ाने की प्रार्थना को खारिज नहीं कर दिया जाता है। संक्षेप में, ऐसी स्थिति में जमानत की मंजूरी भी विस्तार के लिए अनुरोध को अस्वीकार करने के अधीन है।

दिल्ली राज्य [ए. एम. खानविलकर, जे.]

समय के साथ, यदि ऐसी प्रार्थना की जाती है। यदि अभियुक्त आवेदन करता है

180 दिनों की अवधि समाप्त होने पर इस प्रावधान के तहत जमानत

तत्काल जमानत पर रिहा कर दिया गया। अभियुक्त, इसलिए जमानत पर रिहा हो गया के अनुसार गिरफ्तार किया जा सकता है और हिरासत में लिया जा सकता है

दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान। इसके द्वारा तय किया जाता है

के वैध आदेश की अनुपस्थिति के आधार पर बंदी प्रत्यक्षीकरण अभियुक्त के रिमांड या हिरासत को खारिज करना होगा, यदि

नियम की वापसी की तारीख, अभिरक्षा या निरोध पर है एक वैध आदेश का आधार। (देखें नारंजन सिंह

नाथवन बनाम. पंजाब राज्य [1952 एस. सी. आर. 395: ए. आई. आर. 1952 एससी

106 : 1952 श्री एल. जे. 656]; राम नारायण सिंह बनाम। की स्थिति

दिल्ली [1953 एस. सी. आर. 652: ए. आई. आर. 1953 एससी 277: 1953 क्रि एल. जे. 1113]

और ए. के. गोपालन बनाम भारत सरकार [(1966) 2 एससीआर 427 : आकाशवाणी 1966 एससी 816: 1966 क्रि एलजे 602]।) "

(जोर दिया गया)

इसके अलावा, पैराग्राफ 53 में व्यक्त निष्कर्ष यह स्पष्ट करता है कि

हितेन्द्र विष्णु ठाकुर (ऊपर) के निर्णय को समझना चाहिए।

डिंली। यह इस प्रकार देखा गयाः

" 53. उपरोक्त चर्चा के परिणामस्वरूप, हमारे उत्तर

हमारे निर्णय के लिए निर्दिष्ट कानून के तीन प्रश्न इस प्रकार हैंः

(1)

XXX

XXX

XXX

XXX

(2) (ए) टाडा अधिनियम की धारा 20 (4) (बीबी) केवल आवश्यक है

तदनुसार अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 (1) और इस प्रकार अभियुक्त को पहले नोटिस देने की आवश्यकता है।

180 दिनों की निर्धारित अवधि से आगे विस्तार देना।

उपखंड (बी. बी.) के अतिरिक्त परंतुक के अनुसार

टाडा अधिनियम की धारा 20 की धारा (4) को समझना होगा।

हितेंद्र में इस न्यायालय की खंड पीठ के फैसले में

विष्णु ठाकुर। अभियुक्त को इस तरह के नोटिस की आवश्यकता

अभियुक्त को उसमें कारण बताते हुए लिखित सूचना नहीं दी गई है। अभियुक्त को उस समय अदालत में पेश करके सूचित करना

उसे कि [2018] को पूरा करने के लिए अवधि के विस्तार का प्रश्न 1 एस. सी. आर.

जाँच पर विचार किया जा रहा है, अकेले इसके लिए पर्याप्त है

उद्देश्य।

(2) (ख) अभियुक्त को रिहा करने का 'अक्षम्य अधिकार' टाडा की धारा 20 (4) (बीबी) के अनुसार जमानत पर

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 (2) के साथ पढ़ा गया अधिनियम

जांच पूरी करने और दाखिल करने में चूक

अनुमत समय के भीतर चालान, जैसा कि हितेंद्र विष्णु में आयोजित किया गया है

अभियुक्त केवल चूक के समय से दाखिल करने तक चालान और यह जीवित नहीं रहता है या लागू करने योग्य नहीं रहता है

चालान दाखिल किया जा रहा है। यदि अभियुक्त इसके तहत जमानत के लिए आवेदन करता है।

180 दिनों की अवधि की समाप्ति पर या विस्तारित प्रावधान

अवधि, जैसा भी मामला हो, तो उसे जमानत पर रिहा करना होगा

तुरंत। जमानत पर रिहा किए गए आरोपी को गिरफ्तार किया जा सकता है

और के प्रावधानों के अनुसार हिरासत के लिए प्रतिबद्ध

दंड प्रक्रिया संहिता। अभियुक्त का होने का अधिकार चालान दाखिल करने के बाद जमानत पर रिहा, इसके बावजूद

स्वीकृत समय के भीतर इसे दाखिल करने में चूक, नियंत्रित है

चालान दाखिल करने के समय से केवल प्रावधानों द्वारा

उस स्तर पर लागू जमानत के अनुदान से संबंधित।

उपरोक्त राय संविधान द्वारा व्यक्त की गई है

एच के पैराग्राफ 2 में तैयार प्रश्न संख्या 2 के संदर्भ में

नीचे के रूप में:

" 2. उक्त आदेश में इंगित कानून के प्रश्न

हमारे द्वारा तय किए जाने वाले संदर्भ तीन हैं, अर्थात्:

(1)

XXX

XXX

XXX

XXX

(2) उप-धारा (4) के खंड (बी. बी.) का उचित निर्माण टाडा अधिनियम की धारा 20 अधिकार की प्रकृति को दर्शाती है।

अभियुक्त को उसके अधीन जमानत पर रिहा किया जाना है,

अनुमत समय के भीतर जांच पूरी करने में चूक

उसमें;

(3)

एक्सएक्सएक्स "

XXX

XXX

XXX

23. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी को पहले कोई अधिकार अर्जित नहीं हुआ था।

आरोप-पत्र का; सबसे अच्छा, यह 8 मार्च तक एक अनुचित अधिकार था,

नतीजतन, दाखिल करने के बाद वैधानिक जमानत देने का सवाल

अपीलार्थी के विरुद्ध ई-शीट और रामबीर शॉकिन v की विचाराधीनता के दौरान अधिक।

दिल्ली राज्य [ए. एम. खानविलकर, जे.]

आरोप पत्र दाखिल करने के लिए समय बढ़ाने के लिए रिपोर्ट/आवेदन अस्वीकार्य था। दूसरे शब्दों में, अपीलार्थी द्वारा 2 मार्च, 2017 को दायर वैधानिक जमानत देने के लिए आवेदन, भले ही लंबित हो, केवल तभी आगे बढ़ाया जा सकता था जब अदालत द्वारा अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध को औपचारिक रूप से और स्पष्ट रूप से खारिज किया जाना था।

24. जैसा कि इस न्यायालय की संविधान पीठ ने अभिनिर्धारित किया है,

वर्तमान मामले की तरह किसी स्थिति में वैधानिक जमानत देने के लिए आवेदन पर विचार अतिरिक्त न्यायाधीश की प्रार्थना की अस्वीकृति पर निर्भर था। समय बढ़ाने के लिए लोक अभियोजक। जब ऐसा अनुरोध किया जाता है, तो यह न्यायालय का कर्तव्य है कि वह पहली बार में आरोप पत्र दाखिल करने की अवधि बढ़ाने के लिए रिपोर्ट/आवेदन पर विचार करे; केवल अगर इसे अस्वीकार किया जाना था तो वैधानिक जमानत देने के लिए अनुरोध को आगे बढ़ाया जा सकता था। किसी भी मामले में, वैधानिक जमानत आवेदन पर सुनवाई से पहले नहीं होती है

अतिरिक्त लोक अभियोजक द्वारा आरोप पत्र दाखिल करने की अवधि बढ़ाने के लिए प्रार्थना पर विचार।

25. संजय दत्त के मामले (ऊपर) में संविधान पीठ का निर्णय अपीलार्थी द्वारा उनकी अनुपस्थिति के बारे में उठाए गए अगले मुद्दे का भी जवाब देता है। वैध रिमांड/हिरासत। इसमें, पूर्व उद्धृत पैराग्राफ 48 के समापन भाग में, अदालत ने राय दी है कि रिमांड के वैध आदेश के अभाव के आधार पर बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट की मांग करने वाली याचिका या

निरोध को खारिज करना पड़ता है यदि, नियम की वापसी की तारीख पर, हिरासत या निरोध एक वैध आदेश के आधार पर है। मान लीजिए, वर्तमान मामले में, अपीलार्थी की न्यायिक हिरासत को इसके द्वारा बढ़ाया गया था सक्षम अधिकार क्षेत्र का न्यायालय समय-समय पर आरोप-पत्र दायर करने के लिए समय बढ़ाने के अनुरोध पर विचार करने के लिए लंबित है, शुरू में 28 फरवरी, 2017 से 1 मार्च, 2017 तक और इसलिए 1 मार्च, 2017 से 7 मार्च, 2017 तक और फिर 7 मार्च, 2017 से 8 मार्च, 2017 तक जारी रहा-जिस तारीख को अदालत में अपीलार्थी के खिलाफ आरोप-पत्र दायर किया गया था। 8 मार्च, 2017 को विशेष न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अर्थ उच्च न्यायालय द्वारा और इसके अतिरिक्त अपीलार्थी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने की अवधि को स्पष्ट रूप से 8 मार्च, 2017 तक बढ़ा कर लगाया गया है। हम उच्च न्यायालय के उस दृष्टिकोण में कोई त्रुटि नहीं पाते हैं। नहीं।

इस संबंध में हस्तक्षेप आवश्यक है।

26. हालाँकि, अपीलार्थी उदय मोहनलाल आचार्य (ऊपर) की टिप्पणियों पर निर्भर करता है जो इसके तीन-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दी गई हैं।

अदालत। उक्त मामले में आरोपी ने खुद अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया था और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। आरोप पत्र दाखिल करने की अवधि (उस मामले में 60 दिन) 16 अगस्त, 2000 को समाप्त हो गई।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

17 अगस्त, 2000 को 60 दिनों की वैधानिक अवधि के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने में चूक के आधार पर वैधानिक जमानत देने के लिए एक आवेदन दायर किया गया। उस जमानत आवेदन को उसी दिन मजिस्ट्रेट द्वारा यह मानते हुए खारिज कर दिया गया था कि Cr.P.C की धारा 167 (2) के प्रावधानों का विशेष अधिनियम से संबंधित मामलों में कोई आवेदन नहीं था।

महाराष्ट्र जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण (वित्तीय मामलों में)

प्रतिष्ठान) अधिनियम, 1999। इसके बाद आरोपी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जब मामला उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित था, तब 30 अगस्त, 2000 को ट्रायल जज के समक्ष आरोप पत्र दायर किया गया था। उच्च न्यायालय ने इस आधार पर राहत देने से इनकार कर दिया कि जब तक उच्च न्यायालय सक्षम न्यायालय द्वारा पारित वैधानिक जमानत याचिका पर आदेश की शुद्धता पर विचार कर सकता है, तब तक अभियुक्त के खिलाफ एक आरोप पत्र दायर किया गया था।

मजिस्ट्रेट और इसलिए, तथाकथित प्रवर्तनीय अधिकार जीवित नहीं रहा या प्रवर्तनीय नहीं रहा। इस पृष्ठभूमि में, इस न्यायालय ने मामले पर विचार किया और इस निष्कर्ष पर आरोपी के पक्ष में मुद्दे का जवाब दिया कि आरोप पत्र दायर करने से पहले, आरोपी ने वैधानिक जमानत के उपाय का आह्वान किया था। इस प्रकार, बाद में आरोप पत्र दाखिल करने का तथ्य उसे अर्जित अधिकार को विफल नहीं कर सकता है। वर्तमान मामले में, अपीलार्थी द्वारा वैधानिक अनुदान के लिए विषय आवेदन शुरू करने से पहले

2 मार्च, 2017 को जमानत पर, अतिरिक्त लोक अभियोजक ने अपीलार्थी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने की अवधि को 15 मार्च, 2017 तक बढ़ाने के लिए अपनी रिपोर्ट/आवेदन पहले ही दायर कर दिया था, लेकिन उस पर निर्णय को स्थगित कर दिया गया था। जैसा कि संजय दत्त (उपरोक्त) के मामले में संविधान पीठ ने कहा कि जब तक अतिरिक्त लोक अभियोजक द्वारा समय बढ़ाने के लिए दायर रिपोर्ट/आवेदन को खारिज नहीं किया जाता है, तब तक अभियुक्त के पक्ष में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

वैधानिक जमानत। इसके अलावा, ऐसे मामलों में संबंधित न्यायालय का कर्तव्य है कि वह पहले अतिरिक्त लोक अभियोजक द्वारा आरोप पत्र दायर करने की अवधि बढ़ाने के अनुरोध पर विचार करे। उच्च न्यायालय में

इस प्रकार विवादित निर्णय ने अपीलार्थी के खिलाफ मुद्दे का जवाब दिया और अतिरिक्त लोक अभियोजक द्वारा आरोप पत्र दाखिल करने की अवधि बढ़ाने के लिए की गई प्रार्थना के औचित्य पर भी विचार किया। यह.

एक स्पष्ट निष्कर्ष दर्ज किया कि उक्त अनुरोध वास्तविक और उचित था और इस प्रकार उस उद्देश्य के लिए समय 8 मार्च, 2017 तक बढ़ा दिया गया। 27. निराला यादव (उपरोक्त) के मामले में दो-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिए गए निर्णय पर लौटते हुए, उस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।

और 5 दिसंबर, 2006 को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

रैम्बर शॉकिन वी. के समाप्त होने के बाद। दिल्ली राज्य [ए. एम. खानविलकर, जे.]

14 मार्च, 2007 को 90 दिनों की वैधानिक अवधि में अभियुक्त ने चूक के आधार पर वैधानिक जमानत देने के लिए आवेदन दायर किया। द.

हालाँकि, अभियोजन (सी. बी. आई.) ने 15 मार्च, 2007 को 30 दिनों की अवधि के लिए समय बढ़ाने के लिए एक आवेदन दायर किया। चूंकि अभियुक्त द्वारा दायर वैधानिक जमानत देने का आवेदन समय बढ़ाने के लिए आवेदन दायर करने से पहले किया गया था, इसलिए इस मुद्दे का जवाब अभियुक्त के पक्ष में दिया गया था। हालाँकि, वर्तमान मामले में, आरोप पत्र दाखिल करने की अवधि बढ़ाने का अनुरोध अतिरिक्त लोक अभियोजक द्वारा वैधानिक अवधि समाप्त होने से पहले दायर किया गया था, लेकिन यह 8 तारीख तक लंबित रहा।

मार्च, 2017, जब न्यायालय में आरोप पत्र दायर किया गया था। जब तक संजय दत्त (उपरोक्त) के मामले में स्पष्टीकरण को देखते हुए सक्षम न्यायालय द्वारा उक्त अनुरोध को औपचारिक रूप से और स्पष्ट रूप से खारिज नहीं किया गया था, तब तक संबंधित न्यायालय अपीलार्थी की वैधानिक जमानत देने के अनुरोध पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र ग्रहण नहीं कर सकता था। अतिरिक्त जनता द्वारा किया गया अनुरोध

अपीलार्थी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने के बाद 8 मार्च, 2017 को अभियोजक को औपचारिक रूप से निष्फल घोषित कर दिया गया। वह अतिरिक्त लोक अभियोजक के अनुरोध को अस्वीकार करने का आदेश नहीं था क्योंकि

इस तरह। उच्च न्यायालय ने इस पहलू की जांच की है और हमारी राय में यह सही है।

वर्तमान तथ्य स्थिति में अपीलार्थी का कोई लाभ नहीं होगा। मामला।

28. इसलिए मामले को समग्र रूप से देखते हुए यह देखा गया है कि अतिरिक्त लोक अभियोजक ने संबंधित को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी।

आरोप पत्र दाखिल करने के लिए 15 मार्च, 2017 तक का समय बढ़ाने के लिए अदालत। अपीलार्थी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने के लिए 90 दिनों की प्रारंभिक वैधानिक अवधि की समाप्ति से पहले, वह रिपोर्ट 28 फरवरी, 2017 को प्रस्तुत की गई थी। अपीलार्थी के खिलाफ न्यायालय में आरोप-पत्र प्रस्तुत किए जाने के बाद विशेष न्यायालय ने 8 मार्च, 2017 को उस अनुरोध को निष्फल बताते हुए उसका निपटारा कर दिया। 8 मार्च, 2017 तक, अपीलार्थी को सक्षम न्यायालय द्वारा न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था, जो अतिरिक्त लोक अभियोजक के अनुरोध पर विचार करने के लिए समय बढ़ाने के लिए था।

चार्ज-शीट। न्यायालय, कानूनी रूप से, 8 मार्च, 2017 तक अपीलार्थी की वैधानिक जमानत देने के अनुरोध पर विचार नहीं कर सकता था, जिस तारीख को अपीलार्थी के खिलाफ संबंधित न्यायालय में आरोप पत्र पहले ही दायर किया जा चुका था। इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने परिस्थितियों [2018] 1 एस. सी. आर. पर विचार किया।

जिसमें 8 मार्च, 2017 को विशेष अदालत द्वारा आदेश पारित किया गया था। हमारी राय में, यह सही माना गया कि उक्त अनुरोध को निष्फल होने के रूप में बंद नहीं किया जा सकता था। बल्कि, यह न्यायालय का कर्तव्य था कि वह अनुरोध पर उसके गुण-दोष के आधार पर निर्णय करे और केवल उसकी अस्वीकृति पर,

वैधानिक जमानत देने के अनुरोध पर विचार करने के लिए आगे बढ़ें। इसलिए, उच्च न्यायालय ने देखा कि उसके पास दो विकल्प थेः पहला, 28 फरवरी, 2017 की अतिरिक्त लोक अभियोजक की उक्त रिपोर्ट पर उचित निर्णय के लिए मामले को विशेष न्यायालय को वापस भेजना या दूसरा, उसी पर विचार करना और उस पर उचित आदेश पारित करना। इसने दूसरा विकल्प अपनाने का फैसला किया, जिसे वांछनीय माना गया था और जिस पर अपीलार्थी ने आपत्ति नहीं की थी, जैसा कि विवादित फैसले के पैराग्राफ 75 में दिए गए नोट से समझा जा सकता है। उच्च न्यायालय, विवादित निर्णय के अनुच्छेद 76 में, अतिरिक्त लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में किए गए समय के विस्तार के अनुरोध पर विचार करने के लिए आगे बढ़ा। 28 फरवरी, 2017 को, और, ठोस कारणों से, इसे वास्तविक और उपयुक्त पाया गया। इस प्रकार मान लेने के बाद, इसने आरोप पत्र दाखिल करने का समय 8 मार्च, 2017 तक बढ़ाते हुए उक्त अनुरोध को स्वीकार कर लिया। हम उच्च न्यायालय के उक्त दृष्टिकोण में कोई कमजोरी नहीं पाते हैं। 8 मार्च, 2017 तक समय बढ़ाने के बाद और चूंकि उस तारीख को आरोप पत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका था, इसलिए वैधानिक मंजूरी के लिए अनुरोध पर विचार करने का सवाल है।

2 मार्च, 2017 के आवेदन के माध्यम से अपीलार्थी की जमानत, चूक के आधार पर, आगे के विचार के लिए जीवित नहीं रही। अतिरिक्त लोक अभियोजक द्वारा समय बढ़ाने के अनुरोध को अस्वीकार करने के बाद ही अभियुक्त को वैधानिक जमानत देने का अधिकार प्राप्त होता। नतीजतन, उच्च न्यायालय ने 2 मार्च, 2017 के आवेदन के माध्यम से अपीलार्थी द्वारा अपनाई गई वैधानिक जमानत देने की प्रार्थना को सही ढंग से खारिज कर दिया। हम उच्च न्यायालय द्वारा किए गए उक्त निष्कर्ष से पूरी तरह सहमत हैं।

29. एक प्राथमिकता, इन अपीलों को विफल होना चाहिए। वास्तव में, वैधानिक जमानत देने के लिए प्रार्थना की अस्वीकृति योग्यता के आधार पर नियमित जमानत देने के लिए अपने उपाय को आगे बढ़ाने में अपीलार्थी के रास्ते में नहीं आएगी। अपीलार्थी उस उपचार को आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र है जिस पर कानून के अनुसार अपने गुण-दोष के आधार पर विचार किया जा सकता है।

30. तदनुसार, इन अपीलों को खारिज कर दिया जाता है।

गुण।

या

चिकाएं खारिज कर दी गईं।

निधि जैन